

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

संक्र-03/उद्योग/विकास(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4742, दिनांक-26.12.2018 के कड़िका-02 को निम्न प्रकार से संशोधित की जाती है, तदनुसार इसे इसप्रकार पढ़ा जाय :-

उक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) का निर्माण कार्य रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम में अंचल- दिनारा, मौजा/थाना नं०-बेलवैया/94, खाता सं०-132, खेसरा सं०-662 एवं 664, कुल रकबा-2.01 एकड़, किरम जमीन-पुरानी परती, रैयत का नाम-अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर अनुमोदित नक्शा के अनुरूप किया जायेगा। जिसका कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को नामित किया गया है।

2. राज्यादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापक...../

संक्र-03/उद्योग/विकास(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०), वीरचन्द्र मटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापक...../

संक्र-03/उद्योग/विकास(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापक...../

संक्र-03/उद्योग/विकास(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापक...../

संक्र-03/उद्योग/विकास(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि-महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम(रोहतास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कमशा पृष्ठ-02 पर

ज्ञापांक 3114 /

संख्या-03/उद्योग/बिहार/प्रशिक्षण केंद्र मध्य निर्माण-10/2018

पटना, दिनांक 14.8.

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / जिला महाधिकारी, सासाराम(रोहतास) / आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार, पटना / आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आईटीओ प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा-3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में / प्रशाखा-1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
13.8.18

पत्रांक-
सांसा-03/उद्योग/विशेषप्रशिक्षण केन्द्र भवन (निर्माण)-10/2018
सेवा में,

पटना, दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

विषय:- जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण की योजना आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित नक्शा एवं पी०पी०आर० के अनुसार कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) में प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित नक्शा एवं पी०पी०आर० के अनुसार कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) का निर्माण कार्य जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) के परिसर में उपलब्ध भूखण्ड पर अनुमोदित नक्शा के अनुरूप किया जायेगा। जिसका कार्यान्वयन एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को नामित किया गया है।

3. उक्त राशि का व्यय बहन वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यशीर्ष-2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं०-23, विपत्र कोड-23-2852.80.102.0163 अन्तर्गत विषय शीर्ष-0163. 27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉंधी मैदान, पटना के पी०एल०ए० खाता सं०-268 में उपलब्ध करावेंगे।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म सं०-46 पर की जायेगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-8244, दिनांक-02.08.10 एवं पत्रांक-500, दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, का अनुमोदन सचिका संख्या-03/उद्योग/विशेषप्रशिक्षण केन्द्र भवन (निर्माण)-10/2018, के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-13.12.2018 को प्राप्त है। जिसका गै०स०प्रे० संख्या-334, दिनांक-07.12.2018 है।

8. सञ्चादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-03/उद्योग/विशेषप्रशिक्षण केन्द्र भवन (निर्माण)-10/2018 के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-20.12.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2). दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस शर्ति का निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

स0स0-03/उ0नि / विधि(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

स0स0-03/उ0नि / विधि(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../

स0स0-03/उ0नि / विधि(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सासाराम (रोहतास) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26.12.18

ज्ञापांक...../

स0स0-03/उ0नि / विधि(प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण)-10/2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सौरण/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/अध्यासूत संरचना विकास प्रधिकार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/अई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0)/प्रशाखा-1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।